



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब० / ०५३ / २०२४

दिनांक २७ / १२ / २०२४

सूचना

अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर हेतु नवीन महाविद्यालय/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषय/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु आगामी सत्र २०२५-२६ के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्ताव हेतु शासन के पत्र संख्या १९६८/सत्तर-२-२०२४-१६(११)/२०१७टी०सी० दिनांक ०९.१०.२०२४ द्वारा समय-सारिणी निर्धारित की गयी थी। शासन स्तर से उक्त समय सारिणी में संशोधन करते हुये। (शासन द्वारा निर्धारित संशोधित समय-सारिणी पत्र के साथ संलग्न है) दिनांक २७ दिसम्बर, २०२४ से पोर्टल (<http://henoc.upsdc.gov.in>) पुनः खोल दिया गया है, जिसपर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की अन्तिम तिथि १० जनवरी, २०२५ है।

अतः उक्त से अवगत होते हुये नवीन महाविद्यालय स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय/पाठ्यक्रम एवं स्थायी सम्बद्धता हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

नोट:- उक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रक्रिया ऑफलाइन मान्य नहीं होगी।

भवदीय

उप-कुलसचिव

(सम्बद्धन)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रभारी-कुलपति-सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
२. अधीक्षक-कुलसचिव कार्यालय।
३. प्रभारी बेव-साइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
४. गार्ड फाईल।

उप-कुलसचिव

(सम्बद्धन)

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2024

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1968/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 09.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 जनवरी, 2025।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 31 जनवरी, 2025।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 10 फरवरी, 2025 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 फरवरी, 2025 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 10 मार्च, 2025 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन

		किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 10 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2025 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3- शासनादेश दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।